(64)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार चिकित्सा सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियोजन करने हेतु दिनांक–06.01.2018 को दैनिक सामाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के विरुद्ध इच्छुक चिकित्सकों द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित किया गया ।

उक्त विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों के स्कूटनी के दौरान पाया गया कि कतिपय बिहार चिकित्सा सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त चिकित्सकों द्वारा विज्ञापन में माँगी गई निम्न सूचना/दस्तावेज की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

1. **पी०पी०ओ० तथा एल०पी०सी० की छाया प्रति**
2. **जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति**
3. **सेवा इतिहास**
4. **शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति**
5. **आवेदन में वांछित अपराधिकवाद/निगरानीवाद/विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं रहने संबंधी सूचना के आलोक में शपथपत्र**

अतएव विज्ञापान के माध्यम से मात्र बिहार चिकित्सा सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा से सेवा निवृत्त पदाधिकारी, जिन्होंने सेवा निवृत्ति के उपरान्त संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन समर्पित किया है, से अनुरोध है कि दिनांक–28.03.18 एवं 29.3.18 को कार्यालय अवधि में उपरोक्त सभी कागजात के साथ स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना के सभा कक्ष में प्रातः 11.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक डा० आर० डी० रंजन, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

उपस्थिति के दौरान आवेदक पदाधिकारी अपने साथ पदस्थापन हेतु तीन विकल्प तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो भी समर्पित करेंगे।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।